

# डिक्री व मुकदमा इत्दाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)  
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1- हरदेव पिता नानू चमान निवासी खेड़ा राजपुरा उर्फ ढिकरिया खेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- वादी

बनाम

1- मुबारक पिता फल्लन खां मुसलमान निवासी अरनिया घोड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

2- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार,  
इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 203/2006 राजस्व वाद


यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X ..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी विरुद्ध वादी के अबेट हो जाने से अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 24 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।



  
(सुनील कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा